रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2009/माघ 14, 1930
No. 61] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2009/MAGHA 14, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 72(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2005 (जिन्हें एतद्पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 के खण्ड (यक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यक) "बहु-उत्पाद के लिए विशेष आर्थिक जोन" से एक से अधिक क्षेत्र हेतु एक ऐसा विशेष आर्थिक जोन अभिप्रेत है जहाँ व्यापार एवं भण्डारण सहित दो या अधिक क्षेत्रों में आने वाली वस्तुओं के विनिर्माण अथवा दो या अधिक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करने या दोनों ही के लिए इकाइयों की स्थापना की जा सकती है ।"

3. मूल नियम में, नियम 10 में मौजूदा दूसरे एवं तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएँगे, अर्थात् :—

"किन्तु यह और कि यथास्थिति किसी विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता को अनुमत माल और सेवाओं पर छूटें, प्रतिअदायगी और रियायतें नियुक्त उप ठेकेदारों सहित ठेकेदारों जिन्हें ऐसे विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता द्वारा नियुक्त किया गया हो, को भी उपलब्ध होंगी और ऐसी दशाओं में सभी दस्तावेजों पर ठेकेदार या उप-ठेकेदार के साथ-साथ विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता के नाम का उल्लेख होगा और इन्हें यथास्थिति विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता और ठेकेदार या उप ठेकेदार के नाम से संयुक्त रूप से भरा जाएगा :

किन्तु यह भी कि यथास्थिति विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता अथवा विशेष आर्थिक जोन की इकाई समस्त मामलों में ऐसे माल के समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी और दायी होंगे ।"

4. मूल नियम में, नियम 11 में,

(i) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को ही विशेष आर्थिक जोन के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश करने को अनुज्ञात किया जाएगा ।"

(ii) उप-नियम (10) में, दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"यह और कि विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता न केवल प्रबंधन एवं कार्यालय स्टॉफ के लिए बल्कि विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों के कामगारों के लिए भी पर्याप्त आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा ।"

5. मूल नियम में, नियम 18, उप-नियम (2) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख की एक प्रति अनुमोदन पत्र जारी होने के छः मास के भीतर संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी और ऐसा न किए जाने पर इकाई अनुमोदन समिति सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुमोदन पत्र वापस लेने की कार्रवाई कर सकती है ।"

6. मूल नियम में, नियम 19 में,

(i) उप-नियम (2) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु अनुमोदन समिति द्वारा उन मामलों में ऐसा कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा जो अनुमोदन बोर्ड की क्षमता में आते हैं ।"

(ii) उप-नियम (7) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु विदेशी कम्पनियां भी समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में शाखा अथवा कार्यालय अथवा कारोबार के अन्य स्थान की स्थापना) विनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार विशेष आर्थिक जोनों में अपने शाखा प्रचालनों के रूप में विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर सकती हैं ।"

7. मूल नियम में, नियम 28 में, उप-नियम (7) में "विशेष आर्थिक जोन से भिन्न" शब्दों के स्थान पर "विशेष आर्थिक जोन में" शब्द रखे जाएंगे ।

8. मूल नियम में, नियम 29 में उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(7) कोई इकाई उप-नियम (2) के अधीन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए और निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने द्वारा निर्यातिक माल का आयात कर सकेगी जिसे या तो विदेशी क्रेता द्वारा दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त पाया जाता है या विदेशी क्रेता द्वारा उसकी सुपुर्दगी लेने से इंकार कर दिया जाता है अथवा सहमत अनुसूची के अनुसार माल की सुपुर्दगी लेने के बाद क्रेता द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा फैशन एवं अन्य बाजारी कारकों में परिवर्तन होने के कारण क्रेता माल को वापस कर देता है, नामतः :—

(i) पुनः आयात के समय माल की पहचान कर ली गई हो; और

(ii) माल को वारंटी अवधि के भीतर या अनुरक्षण संविदा की वैधता की अवधि या निर्यात की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, पुनः आयात किया गया हो ।

9. मूल नियम में उप-नियम 30 में,

(i) उप-नियम (1) में "अधिसूचना संख्या 40/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी)" शब्दों, संख्याओं, कोष्ठकों एवं अक्षरों के स्थान पर "अधिसूचना संख्या 42/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी)" शब्द, संख्याएं, कोष्ठक एवं अक्षर रखे जाएंगे ।

(ii) उप-नियम (7) के बाद निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) परंतु घरेलू टैरिफ क्षेत्र के आपूर्तिकर्ता द्वारा विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल की आपूर्ति पर प्रति अदायगी या शुल्क हकदारी पास बुक ऋण के स्थान पर शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमत होगी, चाहे भुगतान भारतीय रुपये में किया गया हो । विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल की आपूर्ति पर की गई प्रतिअदायगी के बदले शुल्क की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी । "

10. मूल नियम में, नियम 39 में,

(i) उप-नियम (1) में, "अग्रिम सूचना" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"सात दिन से अनधिक"

(ii) उप-नियम (4) में "शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम ऋण" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

"या कोई अन्य निर्यात प्रोत्साहन " ।

11. मूल नियम में, नियम 46 में, उप-नियम (8) में,

परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि विदेश में बेची न गई मदों का पैंतालीस दिनों की अवधि सहित उनके निर्यात की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि के भीतर पुनर्निर्यात किया जा सकता है ।"

12. मूल नियम में, नियम 48 में, उप-नियम (2) में परंतुक का लोप किया जाएगा ।

13. मूल नियम में, नियम 55 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"55. अपील का प्ररूप—अनुमोदन समिति द्वारा धारा 15 के अन्तर्गत पारित किसी आदेश से अथवा धारा 16 के अन्तर्गत अनुमोदन पत्र के निरसन से असंतुष्ट कोई व्यक्ति प्ररूप में बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है ।"

14. मूल नियम में, नियम 56 में, उप-नियम (1) में निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा कोई अपील नियम 18 के अन्तर्गत अनुमोदन समिति के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर दायर की जा सकेगी ।"

15. मूल नियम में नियम 70 में, उप-नियम (2) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि जब इकाई के पास कोई वैध अनुमोदन पत्र नहीं रहता है तो ऐसी इकाई के उद्यमियों और कार्मिकों को जारी पहचानपत्र अमान्य माने जाएंगे और उन्हें तुरंत अभ्यर्पित कर दिया जाएगा ।"

indiacode

16. मूल नियम में,

(i) प्रपत्र "क" के पैराग्राफ V में पद (1) के अनुसार निम्नलिखित को अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(i)(क) भूमि का प्रकार एवं गुणवत्ता अर्थात् परती एवं बंजर भूमि, एकल फसली अथवा द्विफसली इत्यादि ।"

(ii) प्रपत्र "ख" के पैराग्राफ-III में मद (xvii) के बाद निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा :—

"(xviii) विकासकर्ता विशेष आर्थिक जोन में पदों पर तैनाती के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त स्टॉफ की लागत वहन करेगा और विकास आयुक्त द्वारा जब कभी मांग किए जाने पर अपेक्षित राशि जमा करेगा ।"

[फा. सं. सी. 2/3/2008-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम दिनांक 10 फरवरी, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 54(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदुपरांत (i) दिनांक, 10 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 470(अ) (ii) दिनांक 16 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 393 (अ) (iii) दिनांक 12 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1744(अ) और (iv) दिनांक 14 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2661(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2009

G.S.R.72 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, for clause (za), the following clause shall be substituted, namely:—

'(za) "Special Economic Zone for multi-product" means a Special Economic Zone for more than one sector where Units may be set up for manufacture of goods falling in two or more sectors or rendering of services falling in two or more sectors or any combination thereof including trading and warehousing'.

3. In the principal rules, in rule 10, for the second and third provisos, the following provisos shall be substituted, namely :—

"Provided further that exemptions, drawbacks and concessions on the goods and services allowed to a Developer or Co-developer, as the case may be, shall also be available to the contractors including sub-contractors appointed by such Developer or Co-developer, and all the documents in such cases shall bear the name of the Developer or Co-developer along with the contractor or sub-contractor and these shall be filed jointly in the name of the Developer or Co-developer and the contractor or sub-contractor, as the case may be :

Provided also that the Developer or Co-developer, as the case may be, or the Special Economic Zone Unit shall be responsible and liable for proper utilisation of such goods in all cases".

4. In the principal rules, in rule 11,

(i) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"The persons authorised by the Development Commissioner shall only be allowed to enter the processing area of a Special Economic Zone";

(ii) in sub-rule (10), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided also that the Developer or Co-Developer shall strive to provide adequate housing facilities not only for the management and office staff but also for the workers of the Special Economic Zones Units".

5. In the principal rules, in rule 18, in sub-rule (2), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that a copy of the registered Lease Deed shall be furnished to the Development Commissioner concerned within six months from the issuance of the Letter of Approval and failure to do so, the Approval Committee may take action to withdraw the Letter of Approval after giving an opportunity of being heard."

6. In the principal rules, in rule 19,—

(i) in sub-rule (2), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that no such approval shall be granted by the Approval Committee in those cases which fall within the competence of the Board of Approval";

(ii) in sub-rule (7), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that foreign companies can also set up manufacturing Units as their branch operations in

the Special Economic Zones in accordance with the provisions of Foreign Exchange Management (Establishment in India of branch or office or other place of business) Regulations, 2000 as amended from time to time".

7. In the principal rules, in rule 28, in sub-rule (7), for the words "is other than the Special Economic Zone" the words "is the Special Economic Zone" shall be substituted.

8. In the principal rules, in rule 29, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(7) A Unit may import the goods exported by it which are either found to be defective or damaged by the overseas buyer or have not been taken delivery of by the overseas buyer or when the payment is not forthcoming from the buyer as per agreed schedule after having taken delivery of goods or when buyers return goods due to change of fashion and other market factors by following the procedure under sub-rule (2) and subject to the following conditions, namely : —

(i) the identity of the goods is established at the time of re-import ; and

(ii) the goods are re-imported within the warranty period or the validity of the maintenance contract or a period of one year from the date of export, whichever is later."

9. In the principal rules, in rule 30,

(i) in sub-rule (1), for the words, figures, brackets and letters "notification number 40/2001-Central Excise (NT)", the words, figures, brackets and letters "notification number 42/2001-Central Excise (NT)" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (8), the following proviso shall be inserted, namely :—

"provided that the reimbursement of duty in lieu of drawback or Duty Entitlement Pass Book credit against supply of goods by Domestic Tariff Area supplier to Special Economic Zone developers shall be admissible even if payment is made in Indian Rupees. Reimbursement of duty in lieu of drawback against supply of goods to Special Economic Zone developer shall be made as per the procedure prescribed by the Central Government".

10. In the principal rules, in rule 39,

(i) in sub-rule (1), after the words "advance intimation" the following words shall be inserted, namely: —

"of not less than seven days";

(ii) in sub-rule (4), after the words "Duty Entitlement Pass Book Scheme Credit" the following words shall be inserted, namely :—

"or any other export incentive".

11. In the principal rules, in rule 46, in sub-rule (8), for the proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that the items not sold abroad may be re-imported within a period of three hundred and sixty five days from the date of their export inclusive of the period of forty-five days".

12. In the principal rule, in rule 48, in sub-rule (2), the proviso shall be omitted.

13. In the principal rules, for rule 55, the following rule shall be substituted, namely :—

"55 Form of Appeal.- Any person aggrieved by an order passed by the Approval Committee under Section 15 or against cancellation of Letter of Approval under section 16, may prefer an appeal to the Board in Form J".

14. In the principal rules, in rule 56, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) An appeal shall be preferred by the aggrieved person within a period of thirty days from the date of receipt of the order of the Approval Committee under rule 18".

15. In the principal rules, in rule 70, in sub-rule(2), for the proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that when the Unit ceases to hold a valid Letter of Approval, all identity cards issued to the Entrepreneurs and employees of such Unit shall be deemed to be invalid and shall be surrendered forthwith".

16. In the principal rules,

(i) in Form 'A', in paragraph v, as per item (i) the following item shall be inserted namely:—

"(ia) Type and quality of land i.e. waste and barren land, single crop or double crop etc."

(ii) in Form 'B', in paragraph III, after item (xvii), the following item shall be inserted, namely: —

"(xviii) The Developer shall bear the cost of staff provided by the Government to man the posts in the Special Economic Zone and will deposit the requisite amount as and when demanded by the Development Commissioner".

[F. No. C.2/3/2008-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 54 (E), dated the 10th day of February, 2006 and subsequently amended *vide* notification number (i) G.S.R. 470(E), dated the 10th day of August, 2006, (ii) G.S.R. 393 (E), dated, the 16th day of March, 2007, (iii) G.S.R. 1744(E), dated, the 12th day of October, 2007 and (iv) S.O.2661(E), dated the 14th day of November, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.